(116)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/राजगढ़/भू.रा./2017/1565 विरूद्ध सीमांकन पंचनामा दिनांक 29–12–2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 बोड़ा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ प्रकरण कमांक 2/अ–12/2016–17.

भारत सिंह आत्मज धनीराम
निवासी ग्राम रनावा
तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ .....आवेदक

विरूद्ध

1– बद्रीलाल आत्मज हजारीलाल
2– जगन्नाथ आत्मज घुड़ीलाल
निवासीगण ग्राम रनावा
तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ .....अनावेदकगण

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री संजीव शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 बोड़ा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम रनावा तहसील नरसिंहगढ़ स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की सर्वे कमांक 342/4/1 रकबा 1.150 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक वृत्त बोड़ा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–12/2016–17 दर्ज कर दिनांक 29–12–2016 को सीमांकन किया जाकर पंचनामा बनाया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन पंचनामा के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही में समस्त हितबद्ध व्यक्तियों एवं पड़ोसी कृषकों को व्यक्तिशः सूचना पत्र

जारी कर तामीली कराना आवश्यक है, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को व्यक्तिशः सूचना दिये बिना एवं तामील कराये बिना ही सीमांकन किया गया है, जो कि संहिता की धारा 129 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन किया जाकर अनावेदक की भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण मानने में अवैधानिकता एवं अनियमितता की गई है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक सहित सभी पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर सीमांकन किया गया है । यह भी कहा गया कि सीमांकन की कार्यवाही आवेदक एवं पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में विधिवत किया गया है, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अवैध अतिक्रमण पाया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के प्रकरण में संलग्न सीमांकन पंचनामा को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा उपस्थित पंचों के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, जिस पर पंचों के हस्ताक्षर भी हैं । सीमांकन के समय आवेदक भी उपस्थित था, इस तथ्य की पुष्टि सीमांकन पंचनामा से होती है, स्पष्ट है कि सीमांकन की कार्यवाही विधिवत हुई है, इसलिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 बोड़ा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–12–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर